न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 89/2020 जिला भीलवाड़ा

भोजाराम पिता प्रताप जी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी नुवालिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा।

—अपीलांट

बनाम्

1. काना पिता हीरा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी नुवालिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा।
2. श्रीमती प्रेमी पत्नि काना गुर्जर उम्र वयस्क निवासी नुवालिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा।

—रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा दिनांक 06.06.2018 जो अपील संख्या 45/2016 बउनवानी भोजाराम बनाम काना।

उपस्थित अभिभाषकः—श्री भैरूलाल बापना(अपीलांट अभि0)
राजकीय अभिभाषकः—अनुपस्थित

निर्णय दिनांकः—29.03.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 को ग्राम नुवालिया तहसील आसीन्द के खसरा नम्बर 660 में से 1 हेक्टेयर भूमि का आवंटन दिनांक 21.12.2004 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया था। उक्त आवंटन के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसे 45/2016 नम्बर पर दर्ज किया जाकर बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 06.06.2018 से अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्स्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर वर्तमान अपील तत्समय दिनांक 26.10.2018 को न्यायाल आरएए भीलवाड़ा ने प्रस्तुत की गई। जिसे 394/2018 नम्बर पर दर्ज किया गया। दिनांक 17.12.2019 से उक्त पत्रावली राजस्व ग्रुप—6 विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण में न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार होने से सुनवाई हेतु प्रेषित की गई। जिसे दिनांक 25.02.2020 को 89/2020 नम्बर पर दर्ज किया जाकर सुनवाई आरम्भ की गई। अपील के आधार निम्न है—

1. आवंटन बाबत कोई उदघोषणा जारी नहीं की गई।
2. आवंटन के पूर्व एवं पश्चात रेस्पोडेंट 1 व 2 का [illegible]जा नहीं रहा है।
3. रेस्पोडेंट भूमिहीन कृषक नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:15 IST
Reason: SelfAttested

4. कब्जा नहीं होने से उन्हें अभी खातेदारी नहीं दी गई। अंत में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट 1 व 2 के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाये और अपीलांट के पक्ष में नियमन किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा धारा 5 के प्रार्थना पत्र में बताया गया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अभिभाषक महोदय द्वारा नहीं दी गई थी। पटवारी द्वारा दिनांक 12.10.2015 को उक्त निर्णय की जानकारी हुई। दिनांक 09.10.2018 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र लगाया। नकल दिनांक 16.10.2018 को प्राप्त हुई। उसके बाद शीघ्रता से अपील प्रस्तुत की गई। देरी को क्षमा किया जायें। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.06.2018 का है तथा अपीलांट द्वारा दिनांक 26.10.2018 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। अपीलांट प्रार्थी के अनुसार उसके अभिभाषक द्वारा उसे निर्णय की जानकारी नही दी गई थी। जानकारी दिनांक से अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र देखा गया। इसके अनुसार आवंटित भूमि पर अपीलांट का कई वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। रेस्पोडेंट को अभी भी खातेदारी अधिकार नही दिये गये है। विवादित भूमि के मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जायें। उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रथम सुनवाई के दौरान हीं दिनांक 26.10.2018 को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय आरएए भीलवाड़ा द्वारा मौके एवं राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बाबत आदेश जारी किये गये।

बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट उपस्थित रहें। वकील रेस्पोडेंट अनुपस्थित रहे। अपीलांट के अनुसार आवंटन यदि पति–पत्नि को किया जाता है तो विवाहिता का नाम आवश्यक है। आवंटन के बाद रेस्पोडेंट का कभी भी कब्जाकाश्त नही रहा। आवंटन के प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत काश्त होना तथा द्वितीय वर्ष में शेष भूमि पर काश्त होना आवश्यक है। तहसीलदार द्वारा की गई जांच में कब्जा नहीं पाया गया। हमारा प्रार्थना पत्र इसलिए खारिज किया गया कि हमारा कब्जा नहीं है। आवंटन के पहले हमारा कब्जा नहीं माना। आवंटन 2014 का है। संवत 2055–59 तक नायब तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण बाबत कार्यवाही की जाती रही है। तहसीलदार की अनुशंषा को भी नहीं माना है।

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.06.2018 का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय के अनुसार विवादित आराजी नम्बर 660 का क्षेत्रफल 16.48 हे0 है जिसमें से मात्र 1 हे0 भूमि रेस्पोडेंट के पक्ष में आवंटित की गई है। आवंटी को आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्जा हो यह उनके द्वारा प्रमाणित नहीं माना है। अपीलांट के विरूद्ध खसरा नम्बर 660 में संवत 2055, 2056,2057,2059 में नायब तहसीलदार आसीन्द द्वारा अतिक्रमण बाबत कार्यवाही करते हुए प्रकरण संख्या 45/1998, 52/2000, 319/2002 में बेदखली एवं शास्ति के आदेश पारित किये थे। इसके पश्चात प्रशासन आपके द्वारा अभियान 2004 में उक्त बिलानाम आराजी 660 रबबा 16.48 हे0 में से आवंटी को 1 हे0 भूमि आवंटीत की गई है। खसरा गिरदावरी संवत 2064,2067, 2068 से आवंटी का निरंतर कब्जाकाश्त है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट का आवंटन यथावत रखा गया है। आवंटी के पक्ष में किये गये भूमि आवंटन आदेश मिसल संख्या 699/2004 का अवलोकन [illegible]। उक्त आवंटन आदेश रेस्पोडेंट काना पिता हिरा एवं प्रेमी पत्नि काना जाति गुजर [illegible] मुवालिया के नाम किया गया पाया जाता है। अतः अपीलांट अभिभाषक [illegible] नहीं है कि आवंटन में पति–पत्नि का नाम शामिल नहीं किया गया। आवंटी [illegible] दिनांक 30.12.2004 को कब्जा दिया जाना पाया जाता है। आवंटी को बंजड़ भूमि आवंटित की थी। अपने निर्णय में अतिरिक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा खसरा गिरदावरी संवत 2064–67 एवं 2068 से आवंटी का निरंतर कब्जाकाश्त माना है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत 2064–67 एवं 2068 में रेस्पोडेंट द्वारा काश्त करना नहीं पाया जाता है। उक्त विवेचन काश्त बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही नही किया गया प्रतीत होता है। आवंटित भूमि पर गिरदावरी अनुसार रेस्पोडेंट द्वारा काश्त नहीं किया जाना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार आसीन्द द्वारा जिला कलक्टर महोदय को प्रस्तुत पत्र क्रमांक 1456–57 दिनांक 13.06.2017 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार यह है कि आवंटनशुदा भूमि को गैर खातेदारान द्वारा भूमि को कृषि उपजाउ नहीं बनाया है तथा ना ही आवंटनशुदा भूमि पर कब्जा किया गया है। स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट द्वारा आवंटित भूमि को काश्त नहीं किया गया। जो खसरा गिरदावरी से एवं तहसीलदार आसीन्द की रिपोर्ट से स्पष्ट है। अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार योग्य है। प्रकरण को आवंटन नियम 1970 के विभिन्न गजट नोटिफिकेशन के बाद संशोधित नियम 18(4) में परीक्षण कर दोनो पक्षों को सुनकर पुनः निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 47/2016 अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 निर्णय दिनांक 06.06.2018 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण को आवंटन नियम 1970 के संशोधित नियम 18(4) में परीक्षण कर दोनो पक्षों को सुनकर पुनः निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:15 IST
Reason: SelfAttested